न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 157 / 2024 / अपील / एलआरएक्ट / बून्दी

दायरा दिनांक 02.07.2024

अन्तर्गत धारा: 75 राज0 भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

बद्रीलाल आत्मज लक्ष्मीनारायण जाति मीणा निवासी ग्राम माणी, तहसील नैनवां, जिला बून्दी

...अपीलांट्स

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नैनवां, जिला बून्दी

उपस्थित : श्री अतुल वशिष्ठ, अभिभाषक –अपीलांट
पेरोकार सरकार – रेस्पो

::निर्णय::

दिनांक 27.02.2025

अपीलार्थीगण ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बून्दी द्वारा प्रकरण सं0 249 / प्रा.प. / 2002 बउनवान सरकार बनाम बद्रीलाल में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन, 1970 में पारित निर्णय दिनांक 26.02.2003 के विरूद्ध अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि तहसीलदार नैनवां द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन, 1970 पेश कर अपीलांट / अप्रार्थी बद्रीलाल आत्मज लक्ष्मीनारायण मीणा को किये गये भूमि आवंटन खसरा सं0 890 मिसल रकबा 5 बीघा वाके ग्राम माणी दिनांक 17.06.1999 को निरस्त करने हेतु पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.02.2003 निर्णय पारित करते हुए वर्णित किया गया कि दिनांक 17.06.1999 को आवंटन कमेटी द्वारा अप्रार्थी (अपीलांट बद्रीलाल) को विवादित भूमि का आवंटन किया गया है। उपलब्ध अभिलेख के अनुसार आवंटी के पास उपलब्ध भूमि एवं आवंटित भूमि दोनों भूमि मिलाकर 15 बीघा से अधिक होती है, जिससे भू–आवंटन नियम 20 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है, इतना ही नहीं आवंटित भूमि अतिक्रमणशुदा भूमि है, जिसका आवंटन प्रारूप 5–ख में होना चाहिए था, जो हस्तगत प्रकरण में नहीं है, जिससे आवंटन कमेटी द्वारा अप्रार्थी को किया गया भूमि आवंटन विधिसंगत होना

अति. सं. आयुक्त
कोटा

प्रतीत नहीं होता। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार नैनवां का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलांट बद्रीलाल का किया गया भूमि आवंटन दिनांक 17.06.1999 निरस्त किया गया।

2. अपीलांट को भू–आवंटन समिति ने कृषि प्रयोजनार्थ हेतु खसरा सं0 890 रकवा 5 बीघा वाके ग्राम माणी तहसील नैनवां जिला बून्दी की भूमि का आवंटन दिनांक 17.06.1999 को संपूर्ण आवंटन समिति व पूर्ण कोरम के साथ आवंटन किया गया था और आवंटन के पश्चात् उक्त आराजी पर अपीलांट को दखल देकर कब्जा सुपुर्द किया गया था। तब से अपीलांट आज दिनांक तक उक्त आराजी पर कृषि कार्य करके अपना जीवन यापन करता चला आ रहा है तथा उसी दिन आवंटन समिति द्वारा अपीलांट के भाई भंवरलाल व कन्हैयालाल को भी उक्त खसरा सं0 890 में से भूमि आवंटन की थी जो वर्तमान में अपीलांट के भाई भंवरलाल एवं कन्हैयालाल के कब्जे व खातेदारी में चली आ रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिये सरकार जर्ये तहसीलदार नैनवा द्वारा योग्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त करने में त्रुटि की है। जबकि अपीलांट एक भूमिहीन काश्तकार है और उसका गुजर बसर करने हेतु मात्र उक्त आवंटनशुदा भूमि ही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू–आवंटन नियम 20 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए अपीलांट का आवंटन निरस्त किया है, जो त्रुटिपूर्ण होने से काबिल निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.02. 2003 निरस्त फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पेरोकार सरकार सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि भू–आवंटन समिति ने कृषि प्रयोजनार्थ हेतु खसरा सं0 890 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम माणी तहसील नैनवां जिला बून्दी की भूमि का आवंटन दिनांक 17.06.1999 को संपूर्ण आवंटन समिति व पूर्ण कोरम के साथ आवंटन किया गया था और आवंटन के पश्चात् उक्त आराजी

अति. संभागीय आयुक्त
कोटा

पर अपीलांट को दखल देकर कब्जा सुपुर्द किया गया था। तव से अपीलांट आज दिनांक तक उक्त आराजी पर कृषि कार्य करके अपना जीवन यापन करता चला आ रहा है तथा उसी दिन आवंटन समिति द्वारा अपीलांट के भाई भंवरलाल व कन्हैयालाल को भी उक्त खसरा सं0 890 में से भूमि आवंटन की थी जो वर्तमान में अपीलांट के भाई भंवरलाल एवं कन्हैयालाल के कब्जे व खातेदारी में चली आ रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू–आवंटन नियम 20 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए आवंटन निरस्त किया गया है। अपीलांट का साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.02.2003 निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गय

5. रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू–आवंटन नियम 20 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन होने तथा आवंटन कमेटी द्वारा अपीलांट को किया गया भूमि आवंटन विधिसंगत नहीं होने से आवंटन निरस्त किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित है। अतः अपील खारिज की जावे।

6 हमने अपील पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ अपील को अवधि मध्य माने जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने का अनुरोध किया। रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों का खण्डन नहीं किया गया और न ही खण्डन में कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया। लिहाजा इस स्टेज पर अपील अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित प्रकट होता है।

7. हमने अपील पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रकट होता है कि प्रस्तुत अपील में अपीलांट को अधीनरथ न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर दिया गया है। अधीनरथ न्यायालय का निर्णय उभयपक्ष की सुनवाई के पश्चात् पारित निर्णय है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय अनुसार आवंटी के पास उपलब्ध भूमि एवं आवंटित भूमि दोनों मिलाकर 15 वीघा से अधिक होने से भू–आवंटन नियम 20 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन होने से आवंटन खारिज किया गया है। अपीलांट द्वारा इस बावत् ऐसा कोई दस्तावेज अधीनरथ न्यायालय अथवा न्यायालय हाजा में पेश नहीं किया जिसमें उक्त तथ्य का खण्डन होता हो।

प्रति॰ रा॰ अभि॰
कोटा

अपीलांट द्वारा अपील के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नहीं किया जिससे अपील के कथनों की पुष्टि होती। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय दिनांक 26.02.2003 न्यायोचित होने से अपील प्रकरण में हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बून्दी द्वारा प्रकरण सं0 249/प्रा.प./2002 बउनवान सरकार बनाम बद्रीलाल में प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन, 1970 में पारित निर्णय दिनांक 26.02.2003 बहाल रखा जाता है एवं प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती है।

8. निर्णय आज दिनांक 27.02.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

27/2/2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा

अति. संभागीय आयुक्त
कोटा